P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गुप्तकाल में स्त्रियों के आर्थिक अधिकार : स्त्रीधन के विशेष सन्दर्भ में

विवेक यादव
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
आगरा कॉलेज, आगरा
उत्तर प्रदेश, भारत

पीयूष चौहान
एसोशियेएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
आगरा कॉलेज, आगरा
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्राचीन धर्म सूत्रों में पति और पत्नी दोनों को ''दम्पत्ति'' कहा गया है और सम्पत्ति का संयुक्त स्वामी माना गया है। यद्यपि संहिताओं में पत्नी को पति से अलग कोई अधिकार नहीं दिया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में पति–पत्नी में कोई भी किसी का ऋणी नहीं माना गया है। क्योंकि इन दोनों का सम्पत्ति में कोई विभाजन का विधान नहीं था। जीविकोपार्जन पति द्वारा किया जाना था। पति के विदेश गमन की स्थिति में स्त्रियाँ जीविकोपार्जन हेतु शिल्पों से, जैसे–सूत कातकर, सिलाई आदि करती थी।

साथ ही पति यदि घर पर अनुपस्थिति होता था तब चल सम्पत्ति पत्नी के अधिकार में रहती थी। आवश्यक धन खर्च कर सकती थी। पति द्वारा उपहार के रूप में धन पत्नी को देता था। उस पर पत्नी अधिकारी होती थी।

गुप्तकाल में पत्नी को सह–स्वामित्व का अधिकार था। परन्तु पुरुष–प्रधान समाज में संयुक्त सम्पत्ति का स्वामित्व पूर्णतः परिवार के मुखिया के अधीन था। पत्नी इस सम्पत्ति में से अपने भाग की मांग नहीं कर सकती थी। परिवार के प्रमुख की मृत्यु के बाद की स्थिति में उसकी पत्नी और अविवाहित कन्याओं को पुत्रों के साथ दाय भाग का अधिकार था।

गर्भवती स्त्री पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बन सकती थी। पिता द्वारा इच्छा से सभी पुत्रों के साथ–साथ पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए, जिन्हें अपने पति या ससुर से स्त्रीधन नहीं मिला हो।

गुप्त काल में पत्नी को पैतृक सम्पत्ति में केवल भरण–पोषण की व्यवस्था प्राप्त थी। सम्पत्ति में अपना भाग लेने की मांग वह नहीं कर सकती थी। पैतृक सम्पत्ति में उसका अधिकार तभी था जब उसका पति उसके लिए तैयार हो। इसी प्रकार विधवा, गणिका, दासी तथा पुत्री के आर्थिक अधिकारों का निरूपण अलग–अलग किया जाता था। गुप्त काल में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का सीमित क्षेत्र था। स्त्री धन के उपयोग पर भी विभिन्न उपबन्ध लगाये गये थे।

मुख्य शब्द : धनहरी, स्मृति, सौंदायिक धन, अध्यग्नि, प्रीतीदत्त, अध्यावाहनिक।

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय दार्शनिक एवं सामाजिक संहिताओं जैसे स्मृतियों में स्त्री के जीवन पर कई प्रकार के अकुंश लगाये गये थे। जन्म से मृत्यु पर्यन्त एक नारी को पति के नियंत्रण में रहने के लिए निर्देशित किया गया। पुत्री पत्नी व माता के रूप में नारी पिता पति एवं पुत्र के संरक्षण में ही रहने की अनुशसा की गई थी।[1] स्त्री को केवल पारिवारिक दायित्वों तक ही सीमित रखा गया था। मनु ने नारी को भोजन बनाने, घर की सफाई करने तथा घर की वस्तुओं की देखरेख करने तक ही सीमित रखा। यद्यपि नारी को धन के संग्रह व व्यय का अधिकार भी नारी को दिया जाना चाहिये।[2]

यद्यपि सामाजिक आचरण एवं व्यवहार में नारी पर अनेक प्रतिबन्ध अवश्य थे परन्तु व्यवहारिक रूप में परिवार में स्त्री का महत्व कम नहीं था। परिवार को सुखी तथा मर्यादित एवं सम्पन्न बनाने में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।

शोध पत्र का उद्देश्य :

1. प्राचीन काल में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. गुप्त काल में स्त्रियों के विविध रूपों में आर्थिक अधिकारों का अध्ययन करना।
3. गुप्त काल में स्त्रीधन के स्वरूप तथा तत्कालीन समाज में स्त्रीधन के अर्थ, व्यापकता तथा सीमाओं का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

साहित्य के पुनरावलोकन में निम्न ग्रन्थों का अध्ययन किया गया हैः –

1. जे0एफ0 प्लीट सम्पादित कारपस इंस्क्रिप्शनम् इंडीकैरम, कलकत्ता, 1888 : संशोधित डी0आर0 भंडारकर, नई दिल्ली, 1981। गुप्त कालीन अभिलेखों के मूल पाठ को प्राप्त किया गया है। साथ ही अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया गया है। एक प्रामाणिक ग्रन्थ है।

2. जॉन एलेन सम्पादित – कैटलॉग ऑफ दि क्वाइन्स दि गुप्त डायनेस्टी इन दि ब्रिटिश म्यूजिएम 1914, लंदन। गुप्त कालीन विभिन्न मुद्राओं के सम्बन्ध में उपयोगी सूचना प्राप्त हो सकी है।
3. कालिदास रचित ग्रन्थों में अभिज्ञान शाकुन्तलम् 2009, अनुवाद सुबोध चन्द्र पन्त, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नई दिल्ली। गुप्त कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को जानने का प्रामाणिक तत्कालीन ग्रन्थ है।
4. वात्सायन का कामसूत्र 1921– अंग्रेजी अनुवाद, के0आर0 अपंगवार, लाहौर में स्त्रियों के नरवशिख वर्णन, रति क्रीड़ा तथा वैश्याओं के जीवन का उल्लेख मिलता है।
5. एस0के0 मैती 1956 ''इकोनोमिक लाइफ इन नादर्न इंडिया इन दि गुप्त पीरियड (कलकत्ता) में गुप्तकालीन आर्थिक तथा कृषि व्यवस्था तथा भू–स्वामित्व के अधिकारों पर विशेष अध्ययन किया गया है। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की भी जानकारी प्राप्त होती है।
6. आर0डी0 बनर्जी 1933 – दि एज ऑफ दि इम्पीरियल गुप्ताज, वाराणसी। इस पुस्तक में लेखक ने गुप्त शासकों के सर्वांगीण जीवन को प्रस्तुत किया है। सामाजिक स्थिति पर भी विस्तृत सूचना प्राप्त हुई है।
7. एस0आर0 गोयल 1967 – हिस्ट्री ऑफ दि इंपीरियल गुप्ताज, इलाहाबाद में गुप्त शासकों की विजयों, सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों तथा कला के विकास की जानकारी मिलती है।
8. एच0सी0 चकलदार 1929– सोशल लाइफ इन एनशियंट इंडिया : स्टडीज इन वात्सायनंस कामसूत्र, कलकत्ता गुप्तकाल में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से गणिकाओं की स्थिति का पता चलता है।
9. शिवनंदन मिश्र 1973– गुप्तकालीन अभिलेखों से ज्ञात तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा, पटना, गुप्त अभिलेखों में वर्णित विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक सन्दर्भों के साथ–साथ शासकों के समाज के प्रति विशेषतः महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है।
10. परमेश्वरी लाल गुप्त 1970– गुप्त साम्राज्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी लेखक ने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर गुप्त सम्राटों के जीवन तथा दर्शन को प्रस्तुत किया है। साथ ही, गुप्तकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर विस्तृत लेखन किया गया है।

विषय विस्तार

मनु स्मृति में पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यद्यपि पुत्री के प्रति परिवार का सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। माता का यौतक (एक प्रकार का स्त्रीधन) कुंवारी कन्याओं को मिले।[3] इसके अतिरिक्त पुत्रियों के लिए पैतृक सम्पत्ति में एक भाग निश्चित कर दिया।[4]

मनु स्मृति अभ्रातका को दायाधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में मनु द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थाएं अस्पष्ट हैं। एक सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि अपुत्र पुरुष के धन पर अधिकार भागी पिता के भाई का है। अन्य स्थान पर मनु ने उल्लेख किया है कि पुत्री पुत्र के बराबर है। आत्मास्वरूप पुत्री के जीवित रहने तक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है।[5] मनु ने पिता के धन में पुत्री को कुछ सुविधायें देने का भी उल्लेख अवश्य किया है। परन्तु पुत्री को दायाधिकार नहीं दिया है। मनु ने पुत्रहीन व्यक्ति की कन्या को उसका उत्तराधिकारी माना है।[6]

बृहस्पति स्मृति में पुत्रहीन मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी पत्नी का अधिकार दिया गया है। पत्नी के अभाव में उसकी पुत्री को अधिकारी माना है।[7] नारद स्मृति में पुत्री के हित को अधिक महत्व प्रदान करते हुए पुत्र के अभाव में उसे रिक्थहर बताया गया है। साथ ही पत्नी को पति की ''धनहरी'' (धन प्राप्त करने वाली) माना गया है। पत्नी जीवित न होने पर पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिया गया। क्योंकि कन्या भी पुत्र के समान ही पिता के शरीर से ही उत्पन्न होती है। अतः उसके पिता की सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है। साथ ही यदि सम्पत्ति बहुत कम भी हो तो भी पुत्री को भाग मिलना चाहिए। विष्णु स्मृति में अविवाहित पुत्री का भाग माता तथा पुत्र के भाग के बराबर ही होना चाहिए। यद्यपि गुप्त काल में पुत्रियों को अचल सम्पत्ति भी प्राप्त हो जाती थी।[8]

यह सामान्य परम्परा थी कि पुत्र के जीवित रहते हुए पुत्री पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं माना जाता था। धर्मशास्त्रों में पुत्री को उसके भाई के जीवित रहते सम्पत्ति में कोई अधिकार के पक्ष में नहीं थे।[9] यद्यपि व्यवस्थाकारों ने पुत्र के जीवित रहते हुए भी पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में अधिकारी माना है। यद्यपि उन्होंने कन्या के अविवाहित रहने तक की स्थिति में स्वीकार किया है। पुत्री पिता की सम्पत्ति से भरण–पोषण का अधिकारी थी। यद्यपि पिता के बाद भाईयों पर उसके विवाह व्यय की व्यवस्था का उत्तरदायित्व था। मनु ने भाई को अपने–अपने भाग का चतुर्थ अंश अविवाहित बहनों को देने का पक्ष लिया है।[10]

कन्या के विवाह में व्यय के सम्बन्ध में नारद स्मृति में कहा गया है कि पिता को अपने जीवन–काल में अपनी सम्पत्ति के विभाजन में अविवाहित कन्याओं को भी भाग देना चाहिए। पिता की मृत्यु की स्थिति में सम्पत्ति का विभाजन में से अविवाहित कन्या के भरण–पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए।[11] विष्णु स्मृति में भी पिता की सम्पत्ति में अविवाहित पुत्रियों को भी कुछ भाग का अधिकारी माना गया है। माता के स्त्रीधन में एक मात्र अधिकारिणी उसकी पुत्री मानी गई। माता की सम्पत्ति में उसकी पुत्रियों का अधिकार माना गया। पुत्री के अभाव में पुत्रों को अधिकार दिया गया है।[12]

स्त्रीधन का तात्पर्य ''नारी की सम्पत्ति'' ही माना जाता रहा है। मनु स्मृति में छः प्रकार के स्त्रीधन का वर्णन किया गया है।

1. अध्यग्नि : विवाह के समय पुत्री के पिता द्वारा अग्नि के समक्ष दिया गया धन।
2. अध्यावाहनिक : पाणिग्रहण संस्कार के बाद पति के साथ विदा के समय पिता द्वारा दिया गया धन।
3. प्रीतिदत्त : प्रीतिक्रम में दिया गया धन।
4. भाई के द्वारा दिया गया धन।
5. माता के द्वारा दिया गया धन।
6. पिता के द्वारा विभिन्न अवसरों पर विवाहित पुत्री को दिया गया धन।

याज्ञवल्क्य स्मृति में यह उल्लेख किया गया है कि कन्या के पाणिग्रहण के अवसर पर माता–पिता तथा भाईयों द्वारा अग्नि के समक्ष धन के रूप में दी गई भेंट स्त्रीधन कहलाता है। जब पति द्वारा दूसरा विवाह किया जाता था तब पहली पत्नी को सन्तोष के लिए स्त्रीधन दिया जाता था। इस प्रकार यह अधिवेदनिक स्त्रीधन होता था।[13] कन्या के मातृ पक्ष व पितृ पक्ष के बन्धुओं द्वारा दिया गया धन 'बन्धुदत्त'' कहा जाता था। ''शुल्क'' वह धन था जिसे के बाद विवाह कन्या को पति को देते समय उसके पिता द्वारा प्राप्त

किया जाए। अन्वाधयेक को स्त्रीधन माना गया था। जिसमें पति के पिता के कुल से प्राप्त धन होता था।[14]

इस प्रकार गुप्तकाल में भी स्त्रीधन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। विपरीत परिस्थितियों में एकपत्नी में इसका उपयोग स्वयं के लिए कर सकती थी।

यदि पति विदेश चला जाए तो ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह व बच्चों के पालन–पोषण के लिए पत्नी इस धन का उपयोग करती थी।[15] विशेष परिस्थितियों में स्त्रीधन उपयोग कर सकता था तथा आवश्यकता पूरी होने के बाद ब्याज सहित इस धन को वापिस करता था।[16]

पत्नी की मृत्यु के बाद स्त्रीधन कन्याओं का अधिकार होता था। सबसे यह धन अविवाहित कन्या को मिलता था। फिर विवाहित कन्याओं में जो निर्धन होती थी उसे यह धन मिलता था। स्त्रीधन पत्नी की मृत्यु के बाद पुत्रियों में बांटा जाता था। यदि पुत्रियाँ न हों तब यह पुत्रों में वितरित किया जाता था।[17] कात्यायन के अनुसार सौदायिक धन के उपयोग का पत्नी को पूर्ण अधिकार था। यह स्त्रीधन पत्नी को उसके सम्बन्धियों द्वारा जीवन निर्वाह के लिए अनुकम्पा के रूप में दिया जाता था। यदि धन का अभाव ही तब पत्नी की दुर्दशा न हो सके। स्त्रीधन से प्राप्त वस्तुओं के विक्रय व दान का अधिकार भी पत्नी को था। यदि पति की मृत्यु हो जाए, तब विधवा पति द्वारा दी गई चल सम्पत्ति को विधवा व्यय कर सकती थी। किन्तु पति के जीवित रहने पर पति द्वारा दी गई सम्पत्ति की पत्नी को रक्षा करनी चाहिए। यद्यपि अपने परिवार के लिए वह व्यय कर सकती थी।[18]

विधवा को स्त्रीधन के लेन–देन का अधिकार था। यद्यपि सध्वा को केवल सौदायिक अर्थात् पति के सम्बन्धियों से प्राप्त धन को ही इच्छानुसार व्यय का अधिकार था।[19] मनु ने स्त्रीधन का अपहरण करने वाले सम्बन्धियों के लिए राजा द्वारा दण्ड को स्वीकार किया है।[20] यदि परिवारीजन स्त्रीधन का बलपूर्वक उपयोग करें तब उन्हें ब्याज सहित यह धन लौटाना होता था। इस प्रकार गुप्तकाल में स्त्रीधन पर केवल पत्नी का ही पूर्ण स्वामित्व होता था। यद्यपि पति को इस धन का उपयोग विशेष परिस्थितियों में करना होता था।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत में स्त्रियों के अधिकारों का उल्लेख विभिन्न स्मृतियों में किया गया है। इस सन्दर्भ में गुप्त काल में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का विभाजन पत्नी, माता, विधवा, पुत्री एवं गणिका में किया गया था। पत्नी को प्राप्त होने वाले स्त्रीधन के उपयोग पर भी निश्चित उपबन्ध इस समय प्रचलित थे। स्मृतियों विशेष रूप से मनुस्मृति में स्त्रियों के सीमित आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। साथ ही गुप्तकाल में स्त्रीधन जिसे विवाह के समय कन्या को प्रदान किया जाता था। उसके उपयोग तथा उपभोग पर भी कई प्रकार के प्रावधान गुप्तकाल में थे। एक पत्नी यदि उसका पति के जीवित रहने उसके पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में स्त्रीधन पर अधिकार की परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न थीं। इतना स्पष्ट है कि गुप्तकाल तक आते–आते समाज में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों का क्षेत्र सीमित तथा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक उपबन्धों के प्रभाव में था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *जे0एफ0 फ्लीट सम्पादित कारपस इंस्क्रिप्शनम् इंडीकैरम, 1981 कलकत्ता, 1888 : संशोधित डी0आर0 भंडारकर, नई दिल्ली।*
2. *जॉन एलेन सम्पादित – कैटलॉग ऑफ दि क्वाइन्स दि गुप्त डायनेस्टी इन दि ब्रिटिश म्यूजिएम 1914, लंदन।*
3. *कालिदास रचित ग्रन्थों में अभिज्ञान शाकुन्तलम् अनुवाद सुबोध चन्द्र पन्त, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, 2009, नई दिल्ली।*
4. *एस0के0 मैती ''इकोनोमिक लाइफ इन नादर्न इंडिया इन दि गुप्त पीरियड 1956 (कलकत्ता)।*
5. *आर0डी0 बनर्जी – दि एज ऑफ दि इम्पीरियल गुप्ताज, 1933, वाराणसी।*
6. *एस0आर0 गोयल – हिस्ट्री ऑफ दि इंपीरियल गुप्ताज, 1967, इलाहाबाद।*
7. *एच0सी0 चकलदार – सोशल लाइफ इन एनशियंट इंडिया : स्टडीज इन वात्सायनंस कामसूत्र, 1929, कलकत्ता।*
8. *शिवनंदन मिश्र – गुप्तकालीन अभिलेखों से ज्ञात तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा, 1973, पटना।*
9. *परमेश्वरी लाल गुप्ता – गुप्त साम्राज्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1970, वाराणसी।*

अंत टिप्पणी

1. *मनु स्मृति 9/3, पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्र न स्त्री वातन्त्रयमर्हति। ममता मिश्र, 'गुप्त युगीन समाज व्यवस्था'', पृ0 102*
2. *वही, 9/11 अर्थस्य संग्रह चै ना व्यये चेव नियोजयेत। डा. लता सिंघल ''भारतीय संस्कृति में नारी'', पृ0 213*
3. *मनुस्मृति 9/131, डा0 अन्विता आनन्द, ''गुप्त काल में नारियों की स्थिति'', पृ0 70*
4. *वही, 9/118, डा0 अन्विता आनन्द, ''गुप्त काल में नारियों की स्थिति'', पृ0 123*
5. *मनुस्मृति 9/130, यथेवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। तस्यामात्यनि तिष्ठनता कथमन्यों धन हरेत। लता सिंघल ''भारतीय संस्कृति में नारी'', पृ0 210*
6. *पी.वी. काणे, ''धर्म भारत का इतिहास'', हिन्दी अनुवाद, भाग–2, पृ0 912*
7. *बृहस्पति 25/55, ममता मिश्र, ''गुप्त युगीन समाज व्यवस्था'', पृ0 123*
8. *कात्यायन 919, ममता मिश्र, ''गुप्त युगीन समाज व्यवस्था'', पृ0 124*
9. *डा. अल्तेकर ''पोजिशन ऑफ वुमैन इन एनशियेट इंडिया'', पृ0 241*
10. *याज्ञवल्क्य स्मृति 2/124 भगिन्यश्च निजादंशाद दत्वांश तु तुरीयकम डॉ0 लता सिंघल ''भारतीय संस्कृति में नारी'', पृ0 210*
11. *नारद स्मृति, ''या तस्य दुहिता तस्या पित्रयोशो मतः''। आसंस्करात हरेद भाग परतो विभृयात्पति।*
12. *ममता मिश्र, ''गुप्त युगीन समाज व्यवस्था'' पृ0 124*
13. *याज्ञ. स्मृति 2/143, पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्तमध्यगनू पागतम अधिवेदनिकाघ व स्त्रीधन परिकीर्तितम्।*
14. *याज्ञ. स्मृति 2/144, बन्धुदत्त तथा शुल्क गन्वा धेयकमेव च। शुल्क यंद ग्रहीत्वा कन्या दीपते।।*
15. *अन्विता आनन्द, ''गुप्त काल में नारियों की स्थिति'', पृ0 71*
16. *वही, पृ0 657, अन्विता आनन्द, ''गुप्त काल में नारियों की स्थिति'', पृ0 72*
17. *बौद्यायन 2.2.4, डा. अन्विता आनन्द, ''गुप्त काल में नारियों की स्थिति'', पृ0 72*
18. *कात्यायन स्मृति सारोहार 905–907*
19. *पी.वी. काणे, ''धर्म भारत का इतिहास'', हिन्दी अनुवाद, भाग–2, पृ0 942*
20. *डा0 अन्विता आनन्द, ''गुप्त काल में नारियों की स्थिति'', पृ0 72–73*